T

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 7–1/2012/1–3 नया रायपुर, दिनांक 07/06/2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़।

विषयः–**सेवाकाल के दौरान दिवंगत शासकीय सेवक के विरूद्ध लंबित राशि के भुगतान के संबंध में अनुकम्पा पर नियुक्त व्यक्ति से शपथ पत्र प्राप्त करना।**

संदर्भः–इस विभाग का परिपत्र कमांक एफ 7–1/2012/1–3, दिनांक 14.06.2013.

———

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के निर्देश पर राज्य में वित्त सचिव की अध्यक्षता में ''पेंशन निराकरण समिति'' गठित है। मान. उच्च न्यायालय द्वारा समिति को प्रेषित न्यायालयीन प्रकरणों में उक्त समिति ने यह पाया है कि ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी जिनका सेवाकाल के दौरान निधन हो जाता है, उनके देय स्वत्वों के भुगतान के समय जारी किए गए ''अमांग न जांच'' प्रमाण–पत्र में दिवंगत शासकीय सेवक के विरूद्ध राशि की वसूली लंबित/विचाराधीन होने की जानकारी के बावजूद प्रशासकीय विभाग द्वारा उसकी वसूली किए बिना ही दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी जाती है। जिसके कारण दिवंगत शासकीय सेवक के विरूद्ध लंबित राशि की वसूली न हो पाने से शासन को वित्तीय क्षति होती है। समिति ने यह भी अवगत कराया है कि प्रायः दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों द्वारा वसूली की माफी हेतु मान. उच्च न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाते हैं। मान. न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान किए जाने पर शासन पर अतिरिक्त न्यायालयीन प्रकरणों का बोझ आ जाता है एवं शासन के समय, श्रम एवं धन की क्षति भी होती है।

2/ उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में ''पेंशन निराकरण समिति'' ने शासन को इस आशय के निर्देश जारी करने का परामर्श दिया है कि शासन स्तर पर विचाराधीन ऐसे अनुकंपा नियुक्ति संबंधी प्रकरणों में शासकीय सेवक की मृत्यु उपरांत किसी प्रकार की शासकीय राशि की वसूल होती है, तो लंबित राशि की वसूली पश्चात् ही आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी।

3/ ''पेंशन निराकरण समिति'' के उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में पूर्ण विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. एफ 7–1/2012/1–3, दिनांक 14.6.2013 के बिन्दु 20 के उपबिन्दु (3) के पश्चात निम्नांकित नया उपबिन्दु (4) जोड़ा जाता है :–

''**(4)** परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति के पूर्व यह शपथ–पत्र देना होगा कि अनुकंपा नियुक्ति के पश्चात यदि दिवंगत शासकीय सेवक के विरूद्ध वैध रूप से वसूली की जाने वाली राशि शेष रहती है, तो उसके भुगतान की जिम्मेदारी उक्त सदस्य की होगी।''

कमशः.....2

4/ कृपया अनुकंपा नियुक्ति के ऐसे प्रकरणों जिनमें दिवंगत शासकीय सेवक के विरूद्ध वैध रूप से वसूली की जाने वाली कोई राशि शेष हो, तो उनमें उपरोक्त बिन्दु **(4)** के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार.

(डी.डी. सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 7–1/2012/1–3 नया रायपुर, दिनांक 07/06/2016

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, जीरो पाईट, रायपुर।
4. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण/संसदीय सचिव मंत्रालय,नया रायपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
6. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर ।
7. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर ।
8. श्री के.आर. पिस्दा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग एवं पदेन सचिव, वित्त विभाग तथा अध्यक्ष, पेंशन निराकरण समिति, मंत्रालय नया रायपुर ।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर ।
10. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रयपुर ।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर ।
12. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/सचिव, राज्य मानव अधिकार आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
13. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
14. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, मान. उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर ।
15. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
16. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
17. अवर सचिव, कर्मचारी कल्याण शाखा (कक्ष–9), सामान्य प्रशासन विभाग को मान्यता प्राप्त संघों को प्रति विपरित करने हेतु अतिरिक्त 1 प्रति सहित प्रेषित ।
18. उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर साधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।
19. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय, नया रायपुर की ओर इस आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/gadonline में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग